मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)
न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 44/2025 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट.

सांवरलाल रावत उर्फ दामा पुत्र भेरा मीणा नि. मुकनपुरा तह. बडीसादडी

—–वादी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादी

वादी की ओर से वकील श्री मुकेश कुमार गोस्वामी तथा प्रतिवादी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा मुकनपुरा पटवार हल्का बांसी की खाता संख्या नया 12 पुराना 12 की आराजी नम्बर 48 रकबा 0. 3800 हैक्ट. तथा खाता संख्या नया 3 पुराना 3 की आराजी नम्बर 37 रकबा 0.0100 हैक्ट., आराजी नम्बर 38 रकबा 0.3700 हैक्ट.. आराजी नम्बर 39 रकबा 0.9600 हैक्ट., आराजी नम्बर 69 रकबा 0.2500 हैक्ट. तथा खाता संख्या नया 32 पुराना 3 की आराजी नम्बर 65 रकबा 1.0100 हैक्ट. की जमाबंदी में दामा पुत्र भेरा मीणा के स्थान पर सांवरलाल रावत उर्फ दामा पुत्र भेरा मीणा जाति मीणा दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे ।

इस वाद के खर्चे...X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।
यह आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/112 दिनांक 30/06/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 44/2025 ई.रे.

सांवरलाल रावत उर्फ दामा पुत्र भेरा मीणा नि. मुकनपुरा तह. बडीसादडी
—वादी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी
–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 30/06/2025

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मुकनपुरा पटवार हल्का बांसी की खाता संख्या नया 12 पुराना 12 की आराजी नम्बर 48 रकबा 0.3800 हैक्ट. तथा खाता संख्या नया 3 पुराना 3 की आराजी नम्बर 37 रकबा 0.0100 हैक्ट., आराजी नम्बर 38 रकबा 0.3700 हैक्ट.. आराजी नम्बर 39 रकबा 0.9600 हैक्ट., आराजी नम्बर 69 रकबा 0.2500 हैक्ट. तथा खाता संख्या नया 32 पुराना 3 की आराजी नम्बर 65 रकबा 1.0100 स्थित है। भेरा पिता रूपा मीणा निवासी मुकनपुरा पटवार हल्का बांसी की मृत्यू करीब 38 साल पहले हो गयी जिसके सभी सामाजिक कार्यक्रम, रीति रिवाज और गांव वालो की मौजूदगी में वादी सांवरलाल रावत उर्फ दामा द्वारा ही किये गये । भेरा जी की मृत्यू के बाद पटवारी द्वारा इन्तकाल खोले गये जिसमें सांवरलाल रावत पिता भेरा अंकित करना था किन्तु पटवारी द्वारा कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया और गांव वालों के कहने पर बोलते नाम के अनुसार जमाबंदी में दामा पुत्र भेरा मीणा अंकित कर दिया गया। जबकि दामा मीणा का रिकॉर्ड दस्तावेज अनुसार नाम सांवरलाल है और सभी दस्तावेज भी इसी नाम से बने हुए है। सभी दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर आईडी, पहले भामाशाह कार्ड अब जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में सांवरलाल ही नाम अंकित है और सांवरलाल के पुत्र देवीलाल व लक्ष्मण, पुत्रियां कलाबाई व ममता व पत्नी कमलीबाई के आधार कार्ड में भी नाम सांवरलाल ही अंकित है। सांवरलाल उर्फ दामा नाम का एक ही व्यक्ति है इसके अलावा ओर इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। तथा दस्तावेजों को नहीं देखकर दामा पुत्र भेरा मीणा दर्ज किया गया जो गलत दर्ज है इसी कारण दामा पुत्र भेरा मीणा के बजाय घोषणा की जाकर सांवरलाल रावत पुत्र भेरा मीणा दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वादी के सभी दस्तावेज सांवरलाल रावत पिता भेरा के नाम से ही बने हुए है। खातेदारी में [illegible] के कारण से भी वादी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है इसी [illegible] वादी की खातेदारी जमाबंदी में घोषणा की जाकर सांवरलाल रावत पुत्र भेरा मीणा जाति मीणा दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी को जरिए सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादी पेराकार सरकार ने उक्त वाद में अनापति जाहिर की । पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

वादी सांवरलाल, गवाह मांगीलाल, बंशीलाल के शपथ पत्र पेश हुये। तथा लछुडी पत्नी भेरा मीणा नि. मुकनपुरा का शपथ पत्र भी पेश हुआ ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा मुकनपुरा पटवार हल्का बांसी की खाता संख्या नया 12 पुराना 12 की आराजी नम्बर 48 रकबा 0.3800 हैक्ट. तथा खाता संख्या नया 3 पुराना 3 की आराजी नम्बर 37 रकबा 0.0100 हैक्ट., आराजी नम्बर 38 रकबा 0.3700 हैक्ट.. आराजी नम्बर 39 रकबा 0.9600 हैक्ट., आराजी नम्बर 69 रकबा 0.2500 हैक्ट. तथा खाता संख्या नया 32 पुराना 3 की आराजी नम्बर 65 रकबा 1.0100 हैक्ट. की जमाबंदी में दामा पुत्र भेरा मीणा के स्थान पर सांवरलाल रावत उर्फ दामा पुत्र भेरा मीणा जाति मीणा दर्ज किया जावे। इसी अनुसार डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 30/06/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:04:59 IST
Reason: SelfAttested